

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,  
अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल,  
गया।

पटना, दिनांक-08 /03 /2019

विषय:- अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया को विपत्र कोड-20-2210011100006 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में वेतनादि एवं अन्य मदों में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल रू० 2,31,29,000/- (रुपये दो करोड़ एकतीस लाख उन्तीस हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया को विपत्र कोड-20-2210011100006 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में वेतनादि एवं अन्य मदों में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल रू० 2,31,29,000/- (रुपये दो करोड़ एकतीस लाख उन्तीस हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०(2), दि०-17.04.98, 2880/वि०(2), दि०-06.05.06, 96/वि०(2), दि०-09.01.08 सह-पठित संकल्प सं० 2190/वि०(2) दि०-17.03.08, 2938/वि०(2), दि०-08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दिनांक-18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।


4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0006-मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया, विपत्र कोड-20-2210011100006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के तहत किया जाएगा।
8. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
9. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जाएगी।
10. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
11. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/अ0ना0म0मे0काँ0अ0-03/2018- 111(1) ~~का~~ स्वा0, पटना, दिनांक- 08/03/2019

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया/जिलाधिकारी, गया/ कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




सरकार के विशेष सचिव

मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया, विपत्र कोड-20-2210011100006 को वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि का अतिरिक्त आवंटन

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	पूर्व का कुल बजट उपबंध	तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त उपबंध	अद्यतन कुल बजट उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
0006.01.01 वेतन	243000000	260500000	10000000	270500000	260500000	10000000	270500000	0
0006.01.03 जीवन यापन भत्ता	27000000	30000000	2000000	32000000	30000000	2000000	32000000	0
0006.01.04 मकान किराया भत्ता	21835000	23335000	1000000	24335000	23335000	1000000	24335000	0
0006.01.05 परिवहन भत्ता	5222000	5822000	300000	6122000	5822000	300000	6122000	0
0006.01.06 चिकित्सा भत्ता	5136000	5636000	300000	5936000	5636000	300000	5936000	0
0006.01.07 अन्य भत्ता	5487000	7387000	1400000	8787000	7387000	1400000	8787000	0
<b>योग- वेतन एवं भत्ते</b>	<b>307680000</b>	<b>332680000</b>	<b>15000000</b>	<b>347680000</b>	<b>332680000</b>	<b>15000000</b>	<b>347680000</b>	<b>0</b>
0006.14.01 किराया महसूल एवं कर	700000	700000	3129000	3829000	700000	3129000	3829000	0
0006.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	10000000	18000000	5000000	23000000	18000000	5000000	23000000	0
<b>कुल योग:-</b>	<b>318380000</b>	<b>351380000</b>	<b>23129000</b>	<b>374509000</b>	<b>351380000</b>	<b>23129000</b>	<b>374509000</b>	<b>0</b>

(रुपये दो करोड़ एकतीस लाख उन्तीस हजार)



सरकार के विशेष सचिव



111(1)क  
08-03-2019